राजस्थान सरकार

(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

2024/253

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
111 - 188 राज. भू राजस्व अधि.	189/24	~~3/6/24~~ 03/06/24	14/6/24 निर्णीत	14-6-24

अनवान

श्री महावीर पिता मदनलाल .... श्री भारमल पिता मांगीलाल

निवासी मुद्दा .... निवासी चम्पापुर

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट   अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोडेंट

डिक्रीदार   मदयून

श्री नरेश सिंह तंवर .... श्री ....

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

महावीर बनाम भारमल

किस्म मुकदमा — 111–128 नम्बर 189/2024

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03/06/2024	प्रार्थना पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 14/06/2024 को पेश हों। Sd/- उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
14/6/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण की तामील प्राप्त, विपक्षीगण के विरुद्ध एक-पक्षीय आदेश पारित किए गए। पत्रावली में आदेश पारित कर तहसीलदार बिजौलिया को पालनार्थ लिखा जावें। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। Sd/- उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,बिजौलियॉ जिला भीलवाड़ा(राजस्थान)

प्रकरण संख्या :- 189/24

तारीख दायर 03/06/24

1–महावीर पुत्र मदनलाल जाति भाट उम्र वयस्क निवासी गुढा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज.)

प्रार्थी

बनाम

1–भारमल पुत्र मांगीलाल जाति भाट उम्र वयस्क निवासी चम्पापुर तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज.)

2–राधेश्याम पुत्र किशनदास जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी लाम्बखोह तहसील तालेडा जिला बून्दि(राज.)

3–नंदलाल पुत्र कजोड जाति भाट उम्र वयस्क निवासी गुढा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज.)

4–लाली बाई पत्नि गोपाल जाति भाट उम्र वयस्क निवासी गुढा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज.)

5–पियुष पुत्र सरदार जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी गुढा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज.)

6– भू–स्वामी मार्फत तहसीलदार महोदय बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज.)

–विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

:–आदेशः–

दिनांक 14/06/24

प्रार्थनापत्र महावीर पुत्र मदनलाल ने जरिये अभिभाशक श्री नरेश सिंह तंवर एडवोकट प्रस्तुत कर निवेदन है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते कि भूमि मौजा ग्राम गुढा पटवार हल्का गुढा भू–अभिलेख निरिक्षक क्षैत्र कास्या तहसील बिजौलियॉ जिला भीलवाडा(राज.) में स्थित खाता संख्या 81 आराजी नंबर 860/467 रकबा 0.4047 हैक्टेयर आराजी नंबर 904/467 रकबा 0.2033 हैक्टेयर आराजी नंबर 905/470 रकबा 0.6070 हैक्टेयर **कुल किता 3 रकबा 1.2140 हैक्टेयर भूमि** स्थित हैं। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगड़ा फसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ मे प्रार्थनापत्र की ताईद में शापथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र रजिस्टर करवाया गया है। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 जमाबंदी 2077 का अवलोकन से प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजियात को खातेदार /गैर खातेदार का है।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

पडोसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न हैं। पत्थरगढी से किसी के स्वात्व पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडता हैं।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया **भूमि** मौजा ग्राम गुढा पटवार हल्का गुढा भू–अभिलेख निरिक्षक क्षैत्र कास्या तहसील बिजौलियॉ जिला भीलवाडा(राज.) में स्थित खाता संख्या 81 आराजी नंबर 860/467 रकबा 0.4047 हैक्टेयर आराजी नंबर 904/467 रकबा 0.2033 हैक्टेयर आराजी नंबर 905/470 रकबा 0.6070 हैक्टेयर **कुल किता 3 रकबा 1.2140 हैक्टेयर भूमि** की बाशामालात पड़ोसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एंव पत्थरगढी शुल्क राशि 100/–रूपये राजकोश मे जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियॉ को लिखा जावे ।

प्रार्थनापत्र निर्णित हो कर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,बिजौलियॉं जिला भीलवाड़ा(राजस्थान)

प्रकरण संख्या :– 189/24 तारीख दायर 3/6/24

प्रेषितिः–

तहसीलदार

बिजौलियॉ

विषय :–प्रकरण संख्या ....189/24............पत्थरगढी बाबत्।

1–महावीर पुत्र मदनलाल जाति भाट उम्र वयस्क निवासी गुढा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज.)

प्रार्थी

बनाम

1–भारमल पुत्र मांगीलाल जाति भाट उम्र वयस्क निवासी चम्पापुर तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज.)

2–राधेश्याम पुत्र किशनदास जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी लाम्बखोह तहसील तालेडा जिला बून्दि(राज.)

3–नंदलाल पुत्र कजोड जाति भाट उम्र वयस्क निवासी गुढा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज.)

4–लाली बाई पत्नि गोपाल जाति भाट उम्र वयस्क निवासी गुढा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज.)

5–पियुष पुत्र सरदार जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी गुढा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज.)

6– भू–स्वामी मार्फत तहसीलदार महोदय बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज.) –विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि मौजा ग्राम गुढा पटवार हल्का गुढा भू–अभिलेख निरिक्षक क्षैत्र कास्या तहसील बिजौलियॉ जिला भीलवाडा(राज.) में स्थित खाता संख्या 81 आराजी नंबर 594 रकबा 1.1655 हैक्टेयर आराजी नंबर 595 रकबा 1.0684 हैक्टेयर आराजी नंबर 596 रकबा 0.0486 हैक्टेयर **कुल किता 3 रकबा 2.2825 हैक्टेयर भूमि** की बशमलात पडोसीयान के पत्थरगढी कब्जा जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जारिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक **कास्या** को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस नियमानुसार तय कि जाती है वक्त मैके पर प्रार्थीगण अदा करेंगा। पत्थरगढी करने से पुर्व पडोसी एवं विपक्षीगणो को सुचित करते हुए पत्थरगढी करें।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियॉ